सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 366 राँची, शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 (ई०)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

संकल्प

29 अगस्त, 2022

ज्ञापांकः-03/छात्रवृत्ति (पोस्ट मैट्रिक)-07/2022 -2587

विषयः- झारखण्ड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रछात्रा को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने विषयक नियमावली के गठन के संबंध में।

1. अधिसूचना निर्गम की तिथि से झारखण्ड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 प्रवृत्त होगी।

2. **उद्देश्यः-**

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रछात्रा की पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखण्ड

राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 का गठन किया जाता है।

3. **क्षेत्राधिकारः-**

3.1. वैसे शैक्षणिक संस्थान जो इस नियमावली के शर्तों को पूरा करते हों तथा विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत हों पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित होंगे।

3.2. झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रछात्रा इस योजना अंतर्गत आच्छादित होंगे।

3.3. इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित उपस्थिति प्रणाली का भी पालन करना आवश्यक होगा।

4. **छात्रवृत्ति पोर्टल-**

4.1. विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन, सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा।

4.2. सभी छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से Aadhar Authentication होते ही प्रत्येक छात्र का एक Unique ID Number मिलेगा। यह Unique ID प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए वैध होगा।

4.3. आवेदन का पंजीकरण, सत्यापन एवं छात्रवृत्ति भुगतान के क्रम में प्रत्येक लाभुक छात्रछात्राओं को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल नं० पर SMS के द्वारा प्रत्येक चरण की अद्यतन जानकारी दी जाएगी।

5. **नियमावली में संशोधन का अधिकार-**

5.1. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली/मार्गनिर्देश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है एवं परिवर्तन से वित्तीय भार बढ़ती है तो राज्य सरकार परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

5.2. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली/मार्गनिर्देश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है एवं परिवर्तन से वित्तीय भार नहीं बढ़ती है तो विभाग परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।

5.3. Course Group में संशोधन के लिए विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

5.4. Course Group में पाठ्यक्रम को शामिल करने या हटाने एवं पाठ्यक्रम के नाम में परिवर्तन होने की आवश्यकता होने पर आदिवासी कल्याण आयुक्त सक्षम प्राधिकार होंगे।

6. उपर्युक्त कंडिका 1 के आलोक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु झारखण्ड राज्य पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 निम्नरूपेण गठित की जाती हैः-

i. झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022

(अधिसूचना संख्या-2588, दिनांक-29.08.2022)

ii. झारखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022

(अधिसूचना संख्या-2589, दिनांक-29.08.2022)

iii. झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022

(अधिसूचना संख्या-2590, दिनांक-29.08.2022)

7. इस योजना पर वर्तमान में संकल्प संख्या-636, दिनांक-21.02.2018 के अनुरूप दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर में बदलाव जो अधिसूचना सं॰-2588, दिनांक-29.08.2022, अधिसूचना सं॰-2589, दिनांक-29.08.2022 एवं अधिसूचना सं॰-2590, दिनांक-29.08.2022 के आधार पर कुल अनुमानित व्यय प्रति वर्ष रू॰ 650.00 करोड़ होगा जिसका बजट उपबंध निम्न प्रकार से विकलनीय होगा:-

7.1 मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत 51S22250178959010650 विकलनीय होगा।

7.2. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - 59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत 51S22250279659010650 एवं 51S22250227759010650 विकलनीय होगा।

7.3. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - 12- प्रवेशिकोत्तर प्रवैद्यिकी छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत 51S22250379612010650 एवं 51S22250327712010650 विकलनीय होगा।

7.4. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 95- प्रवेशिकोत्तर प्रवैद्यिकी छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत 51C22250178995010650 विकलनीय होगा।

7.5. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय

क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - 11- प्रवैद्यिकी छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 07 - अन्य व्यय एवं 06 - अनुदान - 59 - अन्य व्यय एवं 50 - छात्रवृत्ति / वजीफा के अन्तर्गत 51C22250279611010759 एवं 51C22250227711010650 विकलनीय होगा।

7.6. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - 03- प्रवेशिकोत्तर प्रवैद्यिकी छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत 51C22250379603010650 एवं 51C22250327703010650 विकलनीय होगा।

8. इस संकल्प के प्रभावी होने के तिथि से विभागीय संकल्प संख्या-636, दिनांक-21.02.2018, संकल्प संख्या-1743, दिनांक-28.05.2018 एवं एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अन्य आदेश विलोपित समझे जाएंगे।

9. न्यायालय परिक्षेत्रः- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र राँची होगा।

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 366-- 50